जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 02.05.2019**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 02.05.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

वारण्टी

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता – 1- विपिन पुत्र शंकर निवासी शिवबखरी 2 – जवाहिर पुत्र राजबली निवासी समदहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 ने विवाद को कराया शान्त – पीआरवी 1492 को थाना महुली क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 11305 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट एवं विवाद होने के संबंध मे सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 07 मिनट मे मौके पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादीगण को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली को सुपुर्द किया गया तथा मारपीट मे घायल व्यक्ति को पीआरवी से अस्पताल पहुचाया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुचकर विवाद को शान्त कराया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मुख्य आरक्षी राजकुमार यादव, आरक्षी जयप्रकाश कुशवाहा, हो0चा0 रामहित।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 03 वाहन चालान, 48 वाहनो से 9000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 02-05-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 03 वाहन चालान, 48 वाहनो से 9000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 17 अभियुक्त गिरफ्तार –

1- **दुधारा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

2 - मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 13 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

3 – बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 02-05-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 21 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 73 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।